



Neutral Citation No. - 2026:AHC:165544

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-बी संख्या - 1333 वर्ष 2026

मोहम्मद सिद्दीक एवं 12 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं 12 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : शगुन के. सरन

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, देवांश मिश्रा, हरीश चंद्र सिंह,
मोहम्मद आलम, राज कुमार त्रिपाठी, राजेश खरे, विशाखा पांडे

न्यायालय संख्या - 51

माननीय न्यायमूर्ति आलोक माथुर

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आर्यन मिश्रा, राज्य-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 7 से 13 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री देवांश मिश्रा और प्रतिवादी संख्या 4 से 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिश चंद्र को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षीगण ने राजस्व परिषद के समक्ष पुनरीक्षण संख्या आरईवी/94/26/चित्रकूट दाखिल किया था, जिसमें दिनांक 23.01.2026 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया है, जिसे वर्तमान रिट याचिका में आक्षेपित किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित आदेश के परिशीलन से यह स्पष्ट होगा कि राजस्व परिषद ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय अपने मस्तिष्क के प्रयोग को दर्शाने वाला कोई कारण अभिलिखित नहीं किया है और तदनुसार उक्त आदेश अवैध एवं मनमाना है।
3. यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त आदेश दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करने के उपरांत पारित किया गया था, किंतु राजस्व परिषद द्वारा किसी भी तथ्य के संबंध में कोई संतुष्टि अभिलिखित नहीं की गई है और आक्षेपित आदेश को अवैध एवं मनमाने ढंग से वापस लिया गया है। अतः उक्त आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।
4. निजी प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने रिट याचिका का विरोध किया, किंतु उपर्युक्त तथ्यों से इनकार नहीं किया।
5. पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने तथा आक्षेपित आदेश के परिशीलन के उपरांत, यह स्पष्ट है कि राजस्व परिषद ने दिनांक 23.01.2026 के आदेश द्वारा उसके समक्ष दिनांक 04.11.2025 को आक्षेपित आदेश पर रोक लगा दी है। केवल इतना अभिलिखित किया गया है कि हस्तक्षेप किए जाने हेतु प्रथम दृष्टया मामला बनता है और तदनुसार आक्षेपित आदेश पर रोक लगा दी गई है। यह देखा गया है कि राजस्व परिषद द्वारा दोनों पक्षों के किसी भी तर्क के संबंध में न तो कोई कारण अभिलिखित किया गया है और न ही उन पर समुचित विचार किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब भी किसी उच्चतर प्राधिकारी द्वारा कोई अंतरिम आदेश पारित किया जाता है, तो उसके लिए पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करना तथा कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से पूर्व उसके कारणों को अभिलिखित करना और अपनी संतुष्टि को दर्ज करना अनिवार्य होता है।
7. निस्संदेह, कारण किसी भी आदेश की आत्मा होते हैं और कारणों से रहित ऐसा आदेश मनमाना एवं अवैध होगा। जब भी कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध कोई उत्तर प्रस्तुत किया जाता है, भले ही वह असंतोषजनक पाया जाए, सक्षम प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसे आपत्तियों को अस्वीकार करने के कारणों को स्पष्ट एवं ठोस आधार सहित अभिलिखित करे। यदि कारण अभिलिखित नहीं किए जाते हैं, तो ऐसी संपूर्ण कार्यवाही स्वयं मनमानी हो जाती है, क्योंकि इससे उच्चतर प्राधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित ऐसे आदेश के अधिनिर्णयन का अवसर प्राप्त नहीं होता और न ही यह स्पष्ट हो पाता है कि दोषी कर्मचारी के प्रतिरक्षण को क्यों अस्वीकार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सक्षम प्राधिकारी अनुचित एवं मनमाने ढंग से कार्य करने के लिए सक्षम हो सकता है। हम आगे यह भी पाते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने भी अनेक अवसरों पर अभिनिर्धारित किया है कि कोई भी आदेश पारित करते समय उसके कारणों को अभिलिखित किया जाना आवश्यक है।
8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **एस.एन. मुखर्जी बनाम भारत संघ, (1990) 4 एससीसी 594** के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

“36. जब कोई प्रशासनिक प्राधिकारी अर्ध-न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते हुए अपने द्वारा पारित आदेश में कारण अभिलिखित करता है, तो निस्संदेह इससे अपीलीय अथवा पर्यवेक्षी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्राधिकारी द्वारा अपनी अधिकारिता के प्रयोग में सुविधा होती है। किंतु उपर्युक्त उल्लिखित अन्य विचार, जिन्होंने इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने के लिए भी प्रभावित किया है कि किसी प्रशासनिक प्राधिकारी को अपने निर्णय के कारणों को अभिलिखित करना चाहिए, कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। ये विचार दर्शाते हैं कि किसी प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा कारणों का अभिलेखन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करता है, अर्थात् यह मनमानेपन की संभावनाओं को समाप्त करता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक स्तर की निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। उक्त उद्देश्य सभी निर्णयों पर समान रूप से लागू होता है और इसका प्रयोग केवल उन निर्णयों तक सीमित नहीं किया जा सकता जो अपील, पुनरीक्षण अथवा न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन हैं। हमारे मत में, अतः, कारणों को अभिलिखित किए जाने की आवश्यकता अर्ध-न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने वाले प्रशासनिक प्राधिकारी के निर्णयों पर लागू होनी चाहिए, चाहे वह निर्णय अपील, पुनरीक्षण अथवा न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन हो या न हो। तथापि, यह जोड़ा जा सकता है कि यह आवश्यक नहीं है कि कारण उतने विस्तृत हों जितने किसी विधि न्यायालय के निर्णय में होते हैं। कारणों की सीमा एवं प्रकृति संबंधित मामले के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। आवश्यक यह है कि कारण स्पष्ट एवं सुव्यक्त हों, ताकि यह इंगित हो सके कि प्राधिकारी ने विवादग्रस्त बिंदुओं पर समुचित विचार किया है। मूल स्तर पर पारित आदेश के मामले में कारण अभिलिखित किए जाने की आवश्यकता अधिक होती है। यदि अपीलीय अथवा पुनरीक्षण प्राधिकारी ऐसे आदेश की पुष्टि करता है, तो उसे पृथक कारण देने की आवश्यकता नहीं है, यदि अपीलीय अथवा पुनरीक्षण प्राधिकारी आक्षेपित आदेश में निहित कारणों से सहमत है।”

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. उपर्युक्त कारणों से, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को निरस्त करते समय पुलिस अधीक्षक द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कारण अभिलिखित नहीं किया गया है और तदनुसार उक्त आदेश अवैध एवं मनमाना है तथा निरस्त किए जाने योग्य है।

10. एक बार जब हम यह अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है, तो सामान्यतः मामले को नए सिरे से विचार किए जाने हेतु वापस भेजना ही उचित प्रक्रिया होती है, जैसा कि विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना की गई है। हमने राज्य की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है और पाते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उक्त प्रार्थना स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। हमने पाया है कि कारण बताओ नोटिस में लगाए गए आरोप प्रतिवादी एवं शिकायतकर्ता के मध्य उस निजी विवाद से संबंधित हैं, जो उनके बीच हुए समझौते के अनुसार प्रतिवादी द्वारा किराए के परिसर में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने के संबंध में था। ऐसा विवाद मूलतः मकान मालिक एवं किरायेदार के बीच का निजी विवाद था और ऐसे विवाद में नियोक्ता द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। हम पाते हैं कि प्रतिवादी के विरुद्ध लगाया गया आरोप किसी भी प्रकार से उसके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के दायरे एवं परिधि से बाहर है। प्रतिवादी के विरुद्ध लगाए गए आरोप में कथित घटना में उसके द्वारा अपने शासकीय पद का दुरुपयोग किए जाने का कोई आरोप नहीं है और न ही यह आरोप है कि प्रतिवादी के आचरण को सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय कहा जा सकता है।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **टाटा ऑयल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम वर्कमेन, एआईआर 1965 एससी 155** के मामले में प्रमाणित स्थायी आदेश में प्रयुक्त 'कदाचार'

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



शब्द की व्याख्या करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि दोषी कर्मचारी के आचरण का मूल्यांकन इस कसौटी पर किया जाना चाहिए कि क्या ऐसा आचरण पूर्णतः निजी है और उसके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित नहीं है तथा ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारी को अनुशासनिक कार्यवाही के अधीन नहीं किया जा सकता। टाटा ऑयल मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय का पैरा 2 निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है:-

“2. इस अपील में हमारे निर्णय हेतु प्रथम प्रश्न यह है कि क्या अधिकरण यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि राघवन के विरुद्ध सिद्ध किए गए तथ्य अपीलकर्ता के प्रमाणित स्थायी आदेशों के स्थायी आदेश 22(viii) के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करते थे। उक्त स्थायी आदेश में यह उपबंधित है कि ‘कदाचार’ शब्द के सामान्य अर्थ पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ कारखाने के भीतर अथवा बाहर मद्यपान, लड़ाई-झगड़ा, उपद्रवी या अव्यवस्थित अथवा अशोभनीय व्यवहार भी सम्मिलित माना जाएगा। यह निर्विवाद है कि कथित हमला कारखाने के बाहर हुआ था और वास्तव में कारखाने से काफी दूरी पर हुआ था। अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उक्त हमला राघवन और ऑगस्टीन के बीच पूर्णतः निजी मामले के रूप में माना जा सकता है, जिससे अपीलकर्ता का कोई सरोकार नहीं था और जिसके परिणामस्वरूप राघवन के विरुद्ध स्थायी आदेश 22(viii) का सहारा नहीं लिया जा सकता। हमारे समक्ष प्रतिवादी की ओर से उपस्थित श्री मेनन ने तर्क प्रस्तुत किया है कि इस प्रकार के स्थायी आदेशों की व्याख्या करते समय हमें यह सुनिश्चित करने में सावधानी बरतनी चाहिए कि पूर्णतः निजी अथवा व्यक्तिगत प्रकृति के विवादों को उनके दायरे में न लाया जाए। वे तर्क देते हैं कि अनेक अवसरों पर व्यक्तिगत कर्मचारियों को निजी विवादों का सामना करना पड़ सकता है और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कभी-कभी इन निजी विवादों के परिणामस्वरूप मारपीट भी हो सकती है। ऐसी मारपीट भारतीय दंड संहिता के संबंधित प्रावधानों को आकर्षित कर सकती है, किंतु वह स्थायी आदेश 22(viii) के अंतर्गत नहीं आती। हमारे मत में, यह तर्क उचित है। हमारे विचार में, स्थायी आदेश 22(viii) के अंतर्गत कारखाने के बाहर किए गए ऐसे किसी भी उपद्रवी व्यवहार को सम्मिलित करना अनुचित होगा, जो पूर्णतः निजी एवं व्यक्तिगत विवाद का परिणाम हो और जिसके दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया हो कि दोनों का आक्रोश चरम पर पहुँच गया हो। स्थायी आदेश 22(viii) को लागू करने के लिए अपीलकर्ता को यह प्रदर्शित करना होगा कि अव्यवस्थित या उपद्रवी व्यवहार का हमलावर और पीड़ित के रोजगार से कोई तर्कसंगत संबंध था।”

12. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने प्रवीण सोलंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2001 ऑल एलजे 1706 के मामले में पैरा 5 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

“5. याचिकाकर्ता के विरुद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उसके आचरण से किसी भी प्रकार उसके शासकीय कार्य प्रभावित हुए। यह आरोप भी नहीं है कि संबंधित समय पर वह ड्यूटी पर थी। हमारे मत में, जब तक कोई कर्मचारी ऐसा कोई कृत्य नहीं करता, जिससे उसके शासकीय कार्य में हस्तक्षेप होता हो, तब तक सामान्यतः वह अपने निजी जीवन में जो कुछ भी करता है, उसे कदाचार नहीं माना जा सकता। इन री रवींद्र नाथ घोष, 1985 (1) एसएलआर 598 के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी यही मत व्यक्त किया था और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बी.एन. सिंह, एआईआर 1989 इलाहाबाद 359 के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ ने भी यही मत व्यक्त किया था। यदि याचिकाकर्ता उपर्युक्त कृत्य ड्यूटी के दौरान कर रही होती, तो स्थिति भिन्न हो सकती थी, किंतु वर्तमान मामले

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



में वह देर रात्रि में अपने निवास पर थी और यह आरोप नहीं है कि उस समय वह ड्यूटी पर थी। इस न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बी.एन. सिंह (उपर्युक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध यौन आचरण की आदत के आधार पर व्यक्तिगत अनैतिकता का मामला बनाने के लिए यह प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है कि सरकारी सेवक की इस आदत के कारण लोक सेवक के रूप में उसकी उपयोगिता इस प्रकार कम हो गई है कि इससे सरकार अथवा सरकारी सेवा की सामान्यतः जनमानस में प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। सुखदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1983 (2) एसएलआर 645 के मामले में पंजाब उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ड्यूटी पर न रहते हुए शराब के प्रभाव में रहने वाले आरक्षी को कदाचार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता किसी सार्वजनिक स्थान पर यौन संबंध स्थापित नहीं कर रही थी, बल्कि अपने निवास पर थी। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उसने ऐसा कोई कदाचार किया है, जिसके लिए उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकती है।”

13. तदनुसार, इस न्यायालय को यह नहीं लगता कि आक्षेपित आदेश कारणों का प्रकटीकरण न किए जाने के दोष से ग्रस्त है और परिणामस्वरूप उक्त आदेश अवैध एवं मनमाना है तथा एतद्वारा निरस्त किया जाता है। रिट याचिका स्वीकार की जाती है। मामले को अंतरिम राहत हेतु आवेदन पर नए सिरे से निर्णय किए जाने के लिए राजस्व परिषद को वापस भेजा जाता है।

14. उक्त आवेदन पर शीघ्रता से, अर्थात् इस आदेश की प्रमाणित प्रति राजस्व परिषद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर, निर्णय लिया जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



15.दोनों पक्ष अंतरिम राहत हेतु आवेदन पर विचार किए जाने के चरण में राजस्व परिषद के समक्ष कार्यवाही में सहयोग करने का वचन देते हैं।

(न्यायमूर्ति आलोक माथुर)

दिनांक: 07 अगस्त, 2026

रवि/-

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”